संख्या:32/2023/1106ई-2/तेरह-2023-400005

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2023

विषय:- मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, असमौली में शीरे के अतिरिक्त ग्रेन को ड्यूअल फीड के रूप में प्रयोग करते हुए अल्कोहल उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-40/दो-प्रा.डी.-92, दिनांक 09-06-2023 व पत्र संख्या:जी-55/दो-प्रा.डी.-92/असमौली, दिनांक 04-07-2023 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 10-07-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09-06-2023 एवं 04-07-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, असमौली को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 875 लाख लीटर के अन्तर्गत स्थापित 100 कि.ली. एवं 150 कि.ली. प्रतिदिन शीरे पर आधारित प्लान्ट को ड्यूअल मोड अर्थात् शीरे के साथ-साथ ग्रेन से एथनॉल, ई.एन.ए., रेक्टिफाइड स्प्रिट, एस.डी.एस. उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुजा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) आसवनी में दोनों प्लान्टों से अल्कोहल उत्पादन में एक समय में एक ही फीड का प्रयोग किया जायेगा अर्थात् अल्कोहल उत्पादन में या तो ग्रेन का या फिर शीरे का प्रयोग किया जायेगा।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(ड.) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) इकाई में स्थापित किये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर, जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राकेश कुमार सचान**)
उप सचिव

संख्याः32/2023/1106(1)ई-2/तेरह-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**राकेश कुमार सचान**)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।